उत्तर प्रदेश में सोशल ऑडिट द्वारा नरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु
जन-जागरूकता अभियान

"जानो-पूछो-जाँचो अभियान"

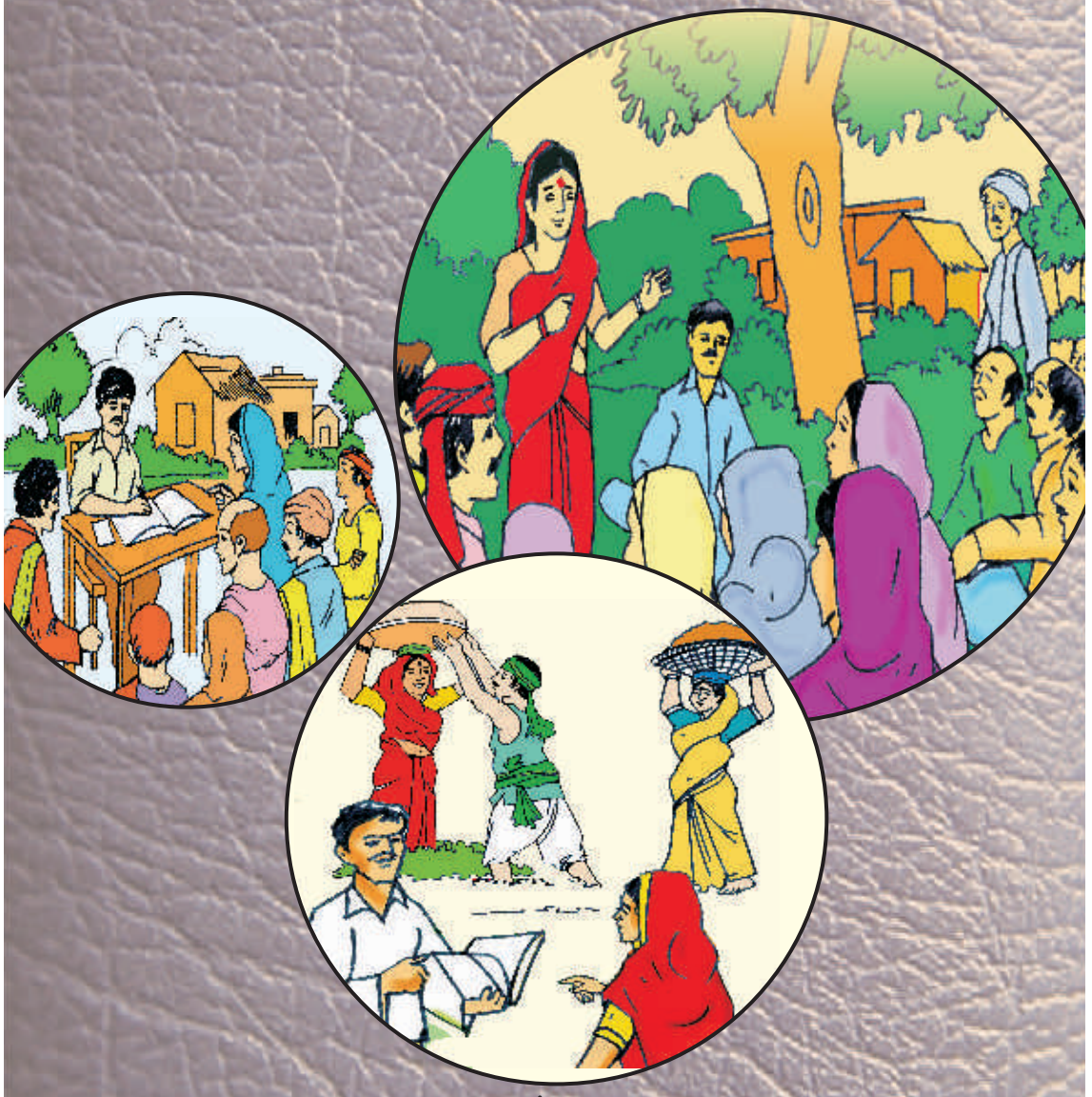

आयोजक

उत्तर प्रदेश वॉलेण्टरी एक्शन नेटवर्क (उपवन)

10, सत्यलोक कॉलोनी, मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड
मड़ियांव, लखनऊ–226 021
फोन / फैक्स : 0522–2361563, 2732267
वेबसाइट : www.upvan.org ईमेल : info@upvan.org

उत्तर प्रदेश में सोशल ऑडिट द्वारा नरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जन–जागरूकता अभियान के अन्तर्गत

जानो–पूछो–जाँचो अभियान

पृष्ठभूमि

73वें संविधान संशोधन में पंचायतराज व्यवस्था में पंचायतों के काम में ग्रामसभा को नैतिक रूप से निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गयी है, जिससे पंचायत के कार्यों में गांव के सर्वसाधारण व्यक्ति का नियंत्रण हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भी एक अच्छी बात यह है कि इसमें पारदर्शिता एवं जवाबदारी हेतु ग्राम सभा को योजना के क्रियान्वयन में जांच–पड़ताल (सोशल ऑडिट) हेतु अधिकार प्राप्त है। ऑडिट का एक सरल तरीका यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक बैठक हो और उसमें लाभार्थियों एवं क्रियान्वयनकर्ता के बीच योजना के कार्यों पर संवाद हो। सोशल ऑडिट ग्राम पंचायत स्तर पर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रत्येक छह माह पर आयोजित की जाती है।

नरेगा में सोशल ऑडिट

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम की धारा–17 में उल्लेख है कि ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट का काम ग्राम सभाएं करेंगी। किन्तु उत्तर प्रदेश में यह मानकर इस धारा की खुली अवहेलना की गयी कि ग्राम सभाएं इस कार्य दायित्व के लिये सक्षम नहीं हैं। फलस्वरूप आए दिन सभी क्षेत्रों में होने वाली अनियमितताओं और लापरवाहियों को लेकर मीडिया द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन की असलियत उजागर की जाती रही है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपवन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी। तत्पश्चात उपवन कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में नरेगा के समुचित क्रियान्वयन में सोशल ऑडिट कार्यक्रम के तहत एक ऐसा माडल तैयार किया जाये, जो ग्राम सभा स्तर पर जनसाधारण द्वारा सोशल ऑडिट प्रक्रिया को व्यवहार में लाने हेतु सार्थक हो सके। इस हेतु चुने हुए जनपदों में सघन एवं अन्य जनपदों में व्यापक जानो–पूछो–जाँचो अभियान का संचालन किया जायेगा।

जानो–पूछो–जाँचो अभियान का उद्देश्य

- सोशल ऑडिट का प्रचार–प्रसार एवं अधिक से अधिक लोगों को सोशल ऑडिट की जानकारी;
- ग्रामीण परिवारों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना;
- सोशल ऑडिट प्रक्रिया को सहज, सरल एवं व्यवहारिक बनाना
- सोशल ऑडिट में सहयोगी के रूप में स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहन।

अभियान की रणनीति एवं गतिविधियां

प्रथम चरण

☞ सोशल ऑडिट पर प्रचार-प्रसार सामग्री

- पुस्तिका (सोशल ऑडिटः मुद्दे एवं चुनौतियां)
- सोशल ऑडिट पर मोटिवेशनल फिल्म

- सोशल आडिट ब्रोशरः संक्षिप्त विवरणिका
- जानो–पूछो–जाँचो अभियान में उपवन का अभियान ब्रोशर
- स्वैच्छिक संगठनों हेतु सोशल ऑडिट मार्गदर्शिका
- पोस्टर / पम्फलेट 5 प्रकार के

☞ सोशल ऑडिट पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय योजना निर्माण कार्यशाला

- कम से कम 100 स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता;
- सोशल ऑडिट की रणनीति एवं गतिविधि निर्धारण;
- प्रदेश में नरेगा क्रियान्वयन की असफलता के प्रमुख कारणों की पहचान;
- ग्राम पंचायत स्तर पर बेहतर पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु रणनीति;
- प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण।

द्वितीय चरण

- प्रदेश के आठ जिलों में सोशल ऑडिट कार्यक्रम का संयोजन एवं सहभागिता (उपवन सचिवालय स्तर से)

ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम संचालन

- सोशल ऑडिट कार्यक्रम सम्बंधी प्रचार–प्रसार (कठपुतली शो अथवा माईक के माध्यम से);
- नरेगा क्रियान्वयन संबंधी दस्तावेजों का संकलन;
- केस स्टडी का चयन;
- खुली बैठक का आयोजन।

सोशल ऑडिट हेतु ग्रामसभा की बैठक

ग्राम सभा के सदस्य	–	सभी मतदाता (पुरूष–महिला, वृद्धजन एवं विकलांगजन)
जनप्रतिनिधि	–	प्रधान, विधायक, सांसद;
सरकारी अधिकारी	–	विशेष रूप से जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, बैंक के मैनेजर, अभियन्ता लघु सिंचाई, मत्स्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, लेखपाल, एवं पंचायत सचिव, आदि।
मीडिया	–	प्रिन्ट / इलेक्ट्रानिक मीडिया
क्रियाकलाप	–	नरेगा से जुड़े मुद्दे एवं शिकायतों को रखना
	–	अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निराकरण
	–	बैठक की सभी प्रक्रियाओं को रजिस्टर में दर्ज करना।

तृतीय चरण

- सभी आठ जिलों से सोशल ऑडिट प्रक्रिया का दस्तावेज तैयार करना। जिसे सरकार के साथ संवाद हेतु उपयोग किया जायेगा;
- राज्य स्तरीय अनुभवों का आदान–प्रदान कार्यशालाः

सहभागिता

– स्वैच्छिक संस्थाएं

– सरकारी अधिकारी (ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायतीराज मंत्रालय);

– राष्ट्रीय स्तर के सोशल ऑडिट पर काम कर रहे विशिष्ट लोग;

– दस्तावेज का विमोचन एवं वितरण।

फालोअप

- सोशल ऑडिट के दौरान तैयार की गयी रिपोर्ट, परियोजना अधिकारी, जिला समन्वयक, नरेगा प्रकोष्ठ, केन्द्रीय/राज्य रोजगार गारण्टी परिषद एवं केन्द्रीय शासन को कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- जानो–पूछो–जाँचो अभियान का लोगों पर प्रभाव और उनकी प्रतिक्रिया का दस्तावेजीकरण।
- अनुभवों के आधार पर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में क्रियान्वित करने हेतु सरकार के साथ संवाद/बैठक आयोजित करना।

अभियान नियोजन

जानो–पूछो–जाँचो अभियान हेतु प्रदेश में पश्चिम, पूर्व, दक्षिण एवं मध्य क्षेत्र के आठ स्थानों पर; इसमें प्रत्येक स्थान से दो–दो ग्राम पंचायतें अर्थात कुल सोलह ग्राम पंचायतों में घनिष्ठ अभियान चलाया जायेगा। जिन जिलों में इस अभियान पर घनिष्ठ कार्य करना है उनका विवरण निम्नवत् है :

जिले का नाम		संगठन का नाम
पश्चिमी क्षेत्र		
1. बदायूँ	–	सोसाइटी फॉर एग्रो इण्डस्ट्रियल एजूकेशन इन इण्डिया
2. मुरादाबाद	–	नवभारत समाज कल्याण समिति
पूर्वी क्षेत्र		
3. आजमगढ़	–	ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान
4. कुशीनगर	–	नारी कल्याण सेवा संस्थान
दक्षिणी क्षेत्र		
5. ललितपुर	–	बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान
6. बांदा	–	विद्याधाम समिति
मध्य क्षेत्र		
7. बहराइच	–	भारतीय मानव समाज कल्याण सेवा संस्थान
8. सीतापुर	–	राही फाउण्डेशन

नोट– अन्य जनपदों में इस अभियान से जुड़ने हेतु सदस्य संगठन उपवन से प्रकाशित सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश वॉलेण्टरी एक्शन नेटवर्क (उपवन)
10, सत्यलोक कॉलोनी, मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड
मड़ियांव, लखनऊ–226 021 फोन/फैक्स : 0522–2361563, 2732267
वेबसाइट : www.upvan.org ईमेल : info@upvan.org

Anuj Printers # 0522-22 53 785